POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 11.03.2023

1-थाना फेस 1 पुलिस द्वारा, एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भिन्न भिन्न बैंको के एटीएम कार्ड व 4,745/- रूपये नकद बरामद।

दिनांक 11.03.2023 को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा, एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे चोरी करने वाले 01 अभियुक्त पवन कुमार पुत्र जितेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम बगवा थाना गढहनी जिला आरा हाल पता रतिराम चरनी सिंह मौहल्ला ग्राम दल्लूपुरा थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली को भिन्न भिन्न बैंको के एटीएम व 4745/- रूपये नगद के साथ यस बैक एटीएम हरौला नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त एटीएम से रूपये निकालने आये भोले भाले लोगो की हेल्प करने के बहाने पासवर्ड देख कर उनका एटीएम बदलकर दूसरा बंद एटीएम उनको दे देता था उनके जाने के बाद उनके एटीएम से रूपये निकाल लेता था।

अभियुक्त का विवरण-

पवन कुमार पुत्र जितेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम बगवा थाना गढहनी जिला आरा वर्तमान पता रतिराम चरनी सिंह मौहल्ला ग्राम दल्लूपुरा थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0 625/22 धारा 420/379 भादवि थाना फेस 1 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0 43/23 धारा 420/379/411 भादवि थाना फेस 1 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

भिन्न भिन्न बैंको के एटीएम व 4745/- रूपये

2- थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा, मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15.47 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 1 लाख 75 हजार रूपये), एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 1340 रूपये बरामद।

दिनांक 11/03/23 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्त अभिमन्यु यादव पुत्र उमेश चन्द्र यादव निवासी हुलिया मन्दिर थाना अहरौली जिला कुशीनगर हाल पता ग्राम छिजारसी डालचन्द्र के मकान में किरायेदार थाना सेक्टर 63 नोएडा को तिकौना पार्क के सामने छिजारसी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 15.47 ग्राम स्मैक जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की अनुमानित कीमत 1 लाख 75 हजार रूपये, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 1340 रूपये बरामद।

अभियुक्त का विवरणः

अभिमन्यु यादव पुत्र उमेश चन्द्र यादव निवासी हुलिया मन्दिर थाना अहरौली जिला कुशीनगर हाल पता ग्राम छिजारसी डालचन्द्र के मकान में किरायेदार थाना सै0 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 114/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 15.47 ग्राम स्मैक
2. एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा
3. 1340 रूपये

3-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में 25 हजार रूपये का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.03.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा, मु0अ0स0 457/2021 धारा 302,307,452,323,506 भादवि व अभियोग संख्या-0057/2022 धारा 174ए भादवि0 के अंतर्गत वांछित अभियुक्त राकेश उर्फ गोलू पुत्र सतपाल निवासी ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को घण्टा गोलचक्कर सूरजपुर के पास स्थित आटो स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड (आलाकत्ल) बरामद हुई है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.06.2021 की रात्रि को अपने पिता व भाईयो के साथ मिलकर वादी सोबिन्द्र के पिता श्री महेन्द्र सिंह की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई थी तथा वादी के पिता को बचाने आयी वादी की माता, बहन व भाई के ऊपर भी जान से मारने की नियत से हमला कर अपने पिता एंव भाईयो के साथ फरार हो गया था। उक्त के सम्बन्ध में अभियुक्त पर 25,000/- रुपये का इनाम घोषित था।

अभियुक्त का विवरणः

राकेश उर्फ गोलू पुत्र सतपाल नि0-गांव साकीपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 1757/2019 धारा 380/411 भादवि0 थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 0502/2020 धारा 414 भादवि0 थाना सूरजपुर कमिशत्रेट गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0-457/2021 धारा 302,307,452,323,506 भादवि थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0-057/2022 धारा 174ए भादिव थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 139/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर,एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2. घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड (आलाकत्ल)

4-थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा, नशा मुक्ति केन्द्र मे भर्ती व्यक्ति को डण्डे से पीटकर हत्या करने वाला आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त (डण्डा) बरामद।

दिनांक 11.03.2023 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 86/2023 धारा 302 भादवि के अंतर्गत नशा मुक्ति केन्द्र मे भर्ती व्यक्ति को डण्डे से पीटकर हत्या करने वाला प्रकाश में आये अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रामी सिंह निवासी ग्राम रामपुर पावटी थाना जानी मेरठ को सेक्टर-79 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा (फावडे का बैटा) बरामद किया गया है।

दिनांक 10.03.2023 को वादी ने थाना सेक्टर 113 पर सूचना दी कि उनके भाई इन्द्रजीत सिंह को नशे की लत के कारण विश्राम फाउण्डेशन नशा मुक्ति केन्द्र एसके-95 सेक्टर-112 नोएडा में भर्ती कराया गया था। दिनांक 09.03.2023 को उन्हे नशा मुक्ति केन्द्र से फोन कर बताया गया कि उनके भाई को मिर्गी का दौरा पडा है, जिससे वो बेहोश हो गये है, कुछ देर बाद बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गयी है, जिनके शव को नशा मुक्ति केन्द्र के कर्मियों द्वारा एम्बुलेंस से उनके घर दिल्ली भिजवा दिया गया था। वादी द्वारा अपने भाई के शव को उठाते समय देखा कि उनके सर में गहरी चोट के कारण खून बह रहा था, जिससे उन्हे शक हुआ कि नशा मुक्ति केन्द्र में मारपीट कर हत्या की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा मु0अ0सं0 086/2023 धारा 302 भादवि बनाम संचालक विश्राम फाउण्डेशन पंजीकृत हुआ था।

अभियुक्त का विवरणः

पवन पुत्र रामी सिंह निवासी ग्राम रामपुर पापटी थाना जानी जिला मेरठ

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0स0-0276/08 धारा 460/411 भादवि थाना जानी मेरठ।

2. मु0अ0स0-415/10 धारा 392/323/504/506/120 बी भादवि थाना कंकरखेडा मेरठ।

3. मु0अ0स0-085/14 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना जानी मेरठ।

4. मु0अ0सं0 086/2023 धारा 302 भादवि थाना सेक्टर 113 नोएडा

बरामदगी का विवरणः

आलाकत्ल डंडा (फावडे का बैटा)

5-थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा,गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित 02 इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.03.2023 को थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा, मु0अ0स0 249/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनामी वांछित अभियुक्तों 1. मनोज यादव पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम घडौली थाना गाजीपुर दिल्ली को ग्राम कुलेसरा आफिस थाना क्षेत्र इकोटेक-3 से 2. बालेश पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद फजलगढ थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद हाल पता ग्राम घडौली थाना गाजीपुर दिल्ली को आफिस ए-1 सेक्टर 10 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों पर मु0अ0स0 249/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में क्रमशः 10-10 हजार रूपये का इनाम घोषित है।

अभियुक्तों का विवरणः

1. मनोज यादव पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम घडौली थाना गाजीपुर दिल्ली

2. बालेश पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम औरंगाबाद फजलगढ थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद हाल पता ग्राम घडौली थाना गाजीपुर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः

<u>अभियुक्त मनोज यादव पुत्र रघुवीर</u>

1. मु0अ0सं0 498/2019धारा 420/406 भादवि थाना नॉलेज पार्क जोन ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 249/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

<u>अभियुक्त बालेश पुत्र रंजीत सिंह</u>

1. मु0अ0सं0 808/2021 धारा 447/430/431 भादवि व 3/4 सार्व0 सम्पत्ति नुकसान नि0 अधि0 थाना इकोटेक -03 कमिश्नरेट- गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0 249/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर।